झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

सं०सं०–08 / ज०सं०(नि०) हजा०–04–03 / 2015 (खण्ड–10) .... / राँची, दिनांक ....

संकल्प

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक– 5977 दिनांक– 25.10.2019 के द्वारा श्री उज्जवल कान्त प्रसाद, तदेन कार्यपालक अभियंता (ID- 3971) जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग के विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम– 43बी के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित है। उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री ददन चौबे, सेवानिवृत, झा०प्र०से० को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया था।

2. श्री ददन चौबे, (सेवानिवृत, झा० प्र० से०) विभागीय जाँच पदाधिकारी का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण संगत अभिलेख विभाग को वापस कर दिया गया। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के आदेश ज्ञापांक– 10412 दिनांक– 27.12.2019 द्वारा श्री रमेश कुमार दूबे, से०नि०, भा०प्र०से० को जल संसाधन विभाग का विभागीय जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

3. अतः उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री रमेश कुमार दूबे, से०नि०, भा०प्र०से० को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 5977 दिनांक– 25.10.2019 की अन्य कंडिकायें एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

5. उक्त आदेश पर अपर मुख्य सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक–एक प्रति अनुबंध की प्रति के साथ :– श्री रमेश कुमार दूबे, से०नि०, भा०प्र०से०, टी०ए० डिवीजन बिल्डिंग, गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

ह० / –
(अशोक कुमार साह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : ....राँची / दिनांक ....

प्रतिलिपि :– श्री रमेश कुमार दूबे, से०नि०, भा०प्र०से०, टी०ए०बिल्डिंग, गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संबंधित अभिलेख संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित / कार्यपालक अभियंता–सह प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, तेनुघाट बाँध प्रमण्डल, तेनुघाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि शीघ्र जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने की कृपा की जाय।

ह० / –
(अशोक कुमार साह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : ......247...................रॉंची/दिनांक ...08|01|2020

प्रतिलिपि :– उप सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, रॉंची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अशोक कुमार साह)
सरकार के संयुक्त सचिव